UPGK010023412026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1003/2026

राजू कुमार शाह उर्फ राजू कुमार पुत्र स्व० किशुन शाह, निवासी- ब्लाक रोड नरकटियागंज, वार्ड नं०-21, थाना- शिकारपुर, जिला- पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 03/2024
धारा- 379, 411, 413 भा०दं०सं०।
थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 03/2024, अंतर्गत धारा- 379, 411, 413 भा०दं०सं०, थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा कोमल पाण्डेय द्वारा थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 06.12.2023 को रेलवे स्टेशन सहजनवा में गाडी संख्या-19204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के बोगी सं0-1 के बर्थ सं0-9, 10, 11, 12, 13 में चढ़ने के कम में गोठ के पास काफी भीड़ थी, जिसमें बेल्जर के निचले पोकेट दाहिना तरफ से वादिनी का मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति ने समय 21.58 बजे चुरा लिया। वह जब गाड़ी में प्रवेश किया तो देखा तो उसका मोबाइल नहीं था। उसका मोबाइल रियलमी-2 कंपनी का था। वादिनी के साथ उसेक पिता जी व अन्य परिवार के सदस्य रेलवे स्टेशन हाजीपुर जा रहे थे। उक्त के आधार पर थाने पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा-379 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है, प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा मुकदमा उपरोक्त में फर्जी रूप से फंसा दिया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक माह के विलम्ब से बिना स्पष्टीकरण के दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। स्थानीय पुलिस द्वारा कारगुजारी दिखाने के लिए प्रार्थी को गिरफतार करके फर्जी तौर पर अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया। प्रार्थी कभी भी किसी चोरी की घटना में

सम्मल्लित नहीं रहा है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नही है। स्थानीय पुलिस ने फर्जी तौर बरामदगी दिखा कर के प्रार्थी को जेल भेज दिया। कथित घटना का तथा कथित बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी कभी भी चोरी के सामान का क्रय विक्रय नही करता है। प्रार्थी दिनांक 06.04.2024 से जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध है। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से वादिनी मुकदमा का मोबाइल चोरी किये जाने तथा पुलिस द्वारा उसे मोबाइल के साथ गिरफ्तार किये जाने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। अभिकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 06.04.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजू कुमार शाह उर्फ राजू कुमार द्वारा मु०अ०सं०- 03/2024, अंतर्गत धारा- 379, 411, 413 भा०दं०सं०, थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/- (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा संबंधित न्यायालय के संतुष्टि की समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

<u>दिनांक-13.03.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.13 16:25:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court